मूल अपराधी

माननीय न्यायमूर्ति मन मोहन सिंह गुजराल के समक्ष

राज्य(न्यायालय की ओर से)
-याचिकाकर्ता

बनाम

दीवान जमन लाल
-प्रतिवादी

1969 का मूल अपराधी नं. 220
3 अप्रैल, 1970

न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम (1850 का XVIII) - धारा 1-डिक्री का निष्पादन-निर्णय-देनदार डिक्री की अशक्तता के बारे में आपत्ति उठा रहा है-निष्पादन न्यायालय आपत्ति पर निर्णय ले रहा है-क्या न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम द्वारा संरक्षित है-न्यायालय की अवमानना अधिनियम (1952 का XXXII) - धारा 3 - अधिकार क्षेत्र - क्या संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए - न्यायालय की अवमानना के समान कार्य - कहा गया - एक न्यायिक अधिकारी को डिक्री निष्पादित करने के लिए भेजा गया जिसमें नुकसान की धमकी और उनकी ईमानदारी पर आक्षेप लगाए गए -क्या यह अवमानना की श्रेणी में आता है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि निर्णय लेने वाले देनदार द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों पर निर्णय लेना निष्पादन न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, जिसमें यह आपत्ति भी शामिल है कि जिस डिक्री को निष्पादित करने की मांग की गई है वह अमान्य है और निष्पादित नहीं की जा सकती है। इसलिए डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायिक अधिकारी को निष्पादन आवेदन से निपटने के दौरान न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर संरक्षित किया जाता है और भले ही वह यदि इस प्रश्न का गलत निर्णय लेते हैं कि जिस डिक्री को निष्पादित करने की मांग की गई है वह अमान्य है या नहीं या अनियमितता या यहां तक कि अवैध है, तब भी वह न्यायिक क्षमता में कार्य करता है और अधिनियम के तहत सुरक्षा उसे उपलब्ध है। निर्णय देनदार के लिए एकमात्र उपाय निर्णय के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण में जाना है और अधिकारी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से किसी भी नुकसान का दावा नहीं किया जा सकता है।

यह निर्धारित किया गया कि न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार क्षेत्र एक असाधारण क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग सारांश तरीके से किया जाना चाहिए। यद्यपि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उचित मामलों में इस शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है लेकिन यह भी समान रूप से स्थापित है कि गंभीर विचार-विमर्श के बाद ही इसका सहारा लिया जाना चाहिए। न्यायालय आरोप लगाने वाला और साथ ही आरोप का

न्यायाधीश दोनों है, और न्यायालय को निर्णय की त्रुटियों और अदालतों और न्यायाधिकरणों में गंभीर प्रथाओं से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के लिए सभी भत्ते देते हुए यथासंभव बड़ी सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए। ऐसा तभी होता है जब अपमानजनक आचरण का कोई स्पष्ट मामला अन्यथा व्याख्या योग्य न हो, तब अवमाननाकर्ता को दंडित किया जाना चाहिए।

यह निर्धारित किया गया कि उन कृत्यों की गणना करना मुश्किल है जो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन अवमानना के सभी मामलों में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या कथित अवमाननाकर्ता की कार्रवाई या टिप्पणी न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने, बाधित करने या विफल करने के लिए बनाई गई है या नहीं।सामान्यतः अवमानना दो प्रकार की होती है: एक प्रत्यक्ष और दूसरी अप्रत्यक्ष। यदि कोई व्यक्ति किसी लंबित मुकदमे में किसी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए कोई कार्रवाई करता है, उदाहरण के लिए, मुकदमे के न्यायाधीश को मामले के रिकॉर्ड से परे कुछ बताना या किसी अखबार में एक लेख प्रकाशित करना जो यह बताने के लिए हो कि लेखक मामले के सही तथ्यों को क्या मानता है , उसकी कार्रवाई सीधे तौर पर न्याय में हस्तक्षेप करती है। दूसरी ओर, यदि वह न्यायाधीश की गरिमा के प्रति अपमानजनक कोई टिप्पणी करता है और यदि वह टिप्पणी या तो न्यायाधीश को शर्मनाक स्थिति में डालने के लिए की जाती है ताकि न्याय का स्वतंत्र प्रशासन खतरे में पड़ जाए, या वादी जनता का न्यायाधीश पर विश्वास खो जाए,ऐसी स्थिति में टिप्पणी के निर्माता परोक्ष रूप से न्याय को बाधित करता है।

यह निर्धारित किया गया कि एक डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायिक अधिकारी को भेजा गया एक संचार जिसमें न केवल डिक्री निष्पादित होने पर उससे व्यक्तिगत रूप से हर्जाना वसूल करने की धमकी दी गई है, बल्कि उसकी ईमानदारी और निष्पक्षता पर भी आक्षेप लगाया गया है, न्याय के मार्ग में बाधा डालने का प्रयास है और जनता का उसकी निष्पक्षता और न्याय की भावना पर से विश्वास खोकर न्यायिक अधिकारी के अधिकार को कम कर देता है। इस तरह का संचार भेजने का एकमात्र उद्देश्य अधिकारी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा करना है ताकि उसे उचित तरीके से न्याय करने से रोका जा सके।

(पैरा 9 और 10)

श्री जे.सी. नागपाल, वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, करनाल द्वारा की गई सिफारिश पर प्रतिवादी के खिलाफ अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 3 के तहत कार्यवाही की गई।

एम. एल. नंदा, अधिवक्ता, महाधिवक्ता हरियाणा के लिए, याचिकाकर्ता की ओर से
कृष्ण लाल, प्रतिवादी के अधिवक्ता

प्रलय

मान मोहन सिंह गुजराल, जे.-न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 3 के तहत दीवान जमन लाल के खिलाफ निम्नलिखित परिस्थितियों में नोटिस जारी किया गया। 8,706.27 /- रुपये की वसूली का फरमान दीवान जमन लाल के खिलाफ पारित किया गया था और निर्णय- देनदार ने 1969 की नियमित दूसरी अपील संख्या 937 के रूप में इस न्यायालय में एक अपील दायर की थी। इस अपील में 1969 की सिविल विविध संख्या 1754 के रूप में एक नागरिक विविध याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें प्रार्थना की गई थी डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाई जाए।इस आवेदन पर पंडित जे. ने 6 अगस्त, 1969 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"सूचना। प्रारंभिक तिथि। निष्पादन न्यायालय की संतुष्टि पर वापसी के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने पर डिक्री-धारक द्वारा डिक्री राशि वापस ले ली जाएगी। सुरक्षा की पर्याप्तता, हालांकि, निर्णय-देनदार को नोटिस के बाद निर्धारित की जाएगी।"

यह आदेश पत्र संख्या 23111/सिविल, दिनांक 7 अगस्त, 1969 द्वारा श्री नागपाल की अदालत को सूचित किया गया (इस न्यायालय के आदेश से)। 26 अगस्त, 1969 को, डिक्री धारक ने डिक्री के निष्पादन के लिए एक आवेदन दायर किया और 4 अक्टूबर, 1969 के लिए नोटिस निर्णय-ऋणी को जारी किया गया था। इस तिथि पर दीवान जमन लाल, निर्णय-ऋणी, उपस्थित हुए और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के तहत एक आपत्ति याचिका दायर की, जिसकी एक प्रति डिक्री-धारकों को दी गयी जिन्हें डिक्रीटल राशि की क्षतिपूर्ति के लिए 10,000 रु. की सुरक्षा प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था। डिक्री धारकों को 18 अक्टूबर, 1969 को आपत्ति याचिका का जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया था, जिस तारीख तक आवेदन स्थगित कर दिया गया था। आपत्ति याचिका पर निर्णय होने से पहले निर्णय-देनदार दीवान जमन लाल ने श्री नागपाल, वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, करनाल को एक पंजीकृत नोटिस भेजा, जिनके न्यायालय में निष्पादन आवेदन लंबित था। नोटिस उन्हें 8 या 9 अक्टूबर, 1969 को प्राप्त हुआ था। चूंकि इस संचार में ऐसी बात थी जो श्री नागपाल और श्री सालिग राम सेठ को बदनाम करती प्रतीत होती थी और न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने वाली भी थी, श्री नागपाल ने इस संचार को इस न्यायालय को अग्रेषित कर दिया जिसके आधार पर प्रतिवादी को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया कि उसे न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(2) उत्तर में कहा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत नोटिस जारी करके प्रतिवादी ने न्यायालय की कोई अवमानना नहीं की है और श्री नागपाल द्वारा किया गया संदर्भ वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, श्री चुनी लाल, वकील और चेतन दास, डिक्री-धारक के बीच एक साजिश का परिणाम था। यह कहा गया था कि चूंकि निर्णय-ऋणी के विरुद्ध डिक्री अमान्य थी, इसलिए इसे निष्पादित नहीं किया जा सकता था और इसलिए, श्री नागपाल के पास इस मामले में कोई क्षेत्राधिकार नहीं था और निर्णय-ऋणी के पास उनके हितों की रक्षा के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 80 के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार था। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों में जहां मामले लंबित थे, प्रतिवादी के खिलाफ पूर्वाग्रह व्याप्त था। इस बात से इनकार किया गया कि नोटिस श्री नागपाल के लिए धमकी जैसा है। प्रतिवादी के अनुसार, चूंकि श्री नागपाल उस डिक्री को निष्पादित करने के लिए आगे बढ़ रहे थे जो कि अमान्य थी, वह इसके कानूनी परिणामों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बन गए थे। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी कानूनी रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत नोटिस जारी करने का हकदार है। यह भी कहा गया कि यह संदर्भ प्रामाणिक नहीं था बल्कि प्रतिवादी पर दबाव बनाने के लिए किया गया था ताकि वह करनाल बार के कुछ अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को बेनकाब न कर सके। यह भी जोड़ा गया कि एक शून्य डिक्री के निष्पादन में डिक्रीटल राशि के भुगतान के लिए श्री नागपाल का आदेश न्यायालय की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग था और श्री नागपाल स्वयं न्यायालय की अवमानना के लिए उत्तरदायी थे, और अपनी सुरक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई के खिलाफ, श्री नागपाल ने प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आवेदन किया था जो अन्यथा कानून के तहत चलने योग्य नहीं था।

(3) प्रतिवादी की ओर से जो जवाब दाखिल किया गया उसमें निचली अदालतों में लंबित कुछ मामलों के रिकॉर्ड तलब करने की प्रार्थना की गई थी। प्रतिवादी और चेतन दास के बीच लंबित मुकदमों और उन मुकदमों में दायर विभिन्न आवेदनों से संबंधित निचली अदालतों से कुछ रिकॉर्ड तलब करने के लिए प्रतिवादी द्वारा एक अलग आवेदन भी दायर किया गया था। चूंकि इन कार्यवाहियों में विभिन्न मामलों में प्रतिवादी के खिलाफ पारित आदेशों की वैधता में जाना

आवश्यक नहीं है, इसलिए उन मामलों की फाइलें तलब नहीं की गईं और केवल निष्पादन मामले की फाइल ही मंगवाई गई। इसी प्रकार प्रतिवादी द्वारा अपने उत्तर में की गयी प्रार्थना कि उसे इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों, करनाल के एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायिक अधिकारियों का परीक्षण करने की अनुमति दी जाए जो किसी समय करनाल में तैनात थे, को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत इन कार्यवाही में, जो कि संक्षिप्त प्रकृति के हैं, उन मामलों के बारे में कोई पूछताछ नहीं की जा सकती है जो अवमानना के प्रश्न से पूरी तरह प्रासंगिक नहीं हैं। जवाब में यह नहीं बताया गया कि किस उद्देश्य से इन सभी गवाहों से पूछताछ करना जरूरी था। बहस के दौरान, हालांकि, यह सामने आया कि इन गवाहों के साक्ष्य आवश्यक थे ताकि प्रतिवादी उन कुछ अनियमितताओं और अवैधताओं को प्रकाश में ला सके जो करनाल की निचली अदालतों द्वारा उन मामलों में की गई थीं, जिनमें प्रतिवादी एक पक्ष था और इसके साथ -2 करनाल में विपरीत पक्ष के खिलाफ व्याप्त पूर्वाग्रह के माहौल को न्यायालय के ध्यान में लाना भी था। जहां तक अवमानना का सवाल है तो ये दोनों मामले कोई दिलचस्पी के नहीं हैं और ऐसी जांच अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 3 के तहत कार्यवाही के दायरे से बाहर है। **शेर सिंह बनाम रघु पति कपूर और अन्य (1)** में, यह देखा गया कि यदि अवमाननाकर्ता अपना बचाव करना चाहता है तो उसे कार्यवाही की सारांश प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने का अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन उसे यह साबित करने के लिए गवाहों को पेश करना कि क्या उन दस्तावेजों में न्यायालय को प्रभावित करने की प्रवृत्ति थी, अनुमति नहीं दी जा सकती।इन टिप्पणियों की मदद से, मेरा विचार है कि अवमाननाकर्ता को उन मामलों को साबित करने के लिए गवाहों और दस्तावेजों का उत्पादन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो अवमानना से संबंधित जांच के लिए पूरी तरह से प्रासंगिक नहीं हैं।

(4) प्रतिवादी की ओर से यह दिखाने के लिए बड़ी संख्या में अथॉरिटीज़ का हवाला दिया गया कि जो डिक्री अमान्य थी, उसे निष्पादित नहीं किया जा सकता था। इन अथॉरिटीज़ से निपटना आवश्यक नहीं है क्योंकि मेरे समक्ष रखे गए कानून के प्रस्ताव के बारे में कोई विवाद नहीं है और इसके अलावा इन मामलों में निपटाए गए मुद्दे वर्तमान कार्यवाही में नहीं उठते हैं। प्रतिवादी ने आपत्ति उठाई कि उसके खिलाफ पारित डिक्री अमान्य थी, निष्पादन न्यायालय का कर्तव्य था कि वह उन कार्यवाहियों में प्रतिवादी द्वारा ली गई आपत्तियों के आलोक में निष्पादन आवेदन पर निर्णय करे। निष्पादन न्यायालय प्रतिवादी द्वारा दायर आपत्ति याचिका पर कानून के अनुसार विचार करने के बाद ही इस निर्णय पर पहुंच सकता है कि प्रतिवादी के खिलाफ पारित डिक्री अमान्य थी या नहीं।यह तथ्य कि प्रतिवादी ने निष्पादन कार्यवाही में आपत्तियाँ दर्ज कीं, स्वयं संकेत देता है कि प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि श्री नागपाल के पास निष्पादन आवेदन के साथ-2 उनके द्वारा दायर आपत्ति याचिका पर भी निर्णय लेने का अधिकार है। प्रतिवादी के वकील द्वारा आग्रह किया गया तर्क कि, क्योंकि आपत्ति याचिका में एक दलील दी गई थी कि डिक्री अमान्य थी, निष्पादन न्यायालय ने निष्पादन आवेदन और आपत्ति याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र खो दिया, पूरी तरह से योग्यता के बिना है और स्वीकार नहीं किया जा सकता। निर्णय-देनदार द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों पर निर्णय लेना निष्पादन न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है जिसमें यह आपत्ति भी शामिल है कि जिस डिक्री को निष्पादित करने की मांग की गई थी वह अमान्य थी और निष्पादित नहीं की जा सकती थी। इसलिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि श्री नागपाल के पास निष्पादन आवेदन के साथ-साथ प्रतिवादी द्वारा दायर आपत्ति याचिका से निपटने का अधिकार क्षेत्र था और इन मामलों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में वह अवैध रूप से या अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य नहीं कर रहे थे।

(5) इसलिए, श्री नागपाल को निष्पादन आवेदन से निपटने के दौरान न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर संरक्षित किया गया था और भले ही उन्होंने इस सवाल पर गलत निर्णय लिया था कि जिस डिक्री को निष्पादित करने की मांग की गई थी वह अमान्य थी या नहीं, प्रतिवादी के लिए एकमात्र उपाय फैसले के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण करना था और श्री नागपाल के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से किसी भी नुकसान का दावा नहीं किया जा सकता था। न्यायिक अधिकारियों की किस हद तक सुरक्षा की जाती है इस पर कई मामलों में विचार

किया गया है और **अनवर हुसैन बनाम अजॉय कुमार मुखर्जी और अन्य (2)** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों द्वारा इसका निपटारा किया गया है: -

"अधिनियम एक न्यायिक अधिकारी की सुरक्षा केवल तभी करता है जब वह अपनी न्यायिक क्षमता में कार्य कर रहा हो, किसी अन्य क्षमता में नहीं। लेकिन इसके संचालन की सीमा के भीतर यह अपने न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को बड़ी सुरक्षा प्रदान करता है। यदि न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया कार्य या करने का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र में है, सुरक्षा पूर्ण है और इस बात की कोई जांच नहीं की जाएगी कि क्या किया गया या आदेश दिया गया कार्य सद्भावना में विश्वास किए बिना किया गया था कि उन्हें ऐसा करने का या जिस कार्य की शिकायत की गई है उस पर आदेश देने का अधिकार क्षेत्र था।यदि किया गया या आदेश दिया गया कार्य क्षेत्राधिकार की सीमा के भीतर नहीं है, तो अपने न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाला न्यायिक अधिकारी अभी भी संरक्षित है, यदि कार्य करने या आदेश देने के समय जिस कार्य की शिकायत की गई है , वह अच्छे विश्वास में मानता था कि कार्य करने या आदेश देने का अधिकार क्षेत्र उसके पास है। अभिव्यक्ति 'क्षेत्राधिकार' का अर्थ विवादित कार्य करने या आदेश देने की शक्ति नहीं है, बल्कि आम तौर पर मामले में कार्य करने के लिए न्यायिक अधिकारी का अधिकार है..."

उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया कि चूंकि श्री नागपाल पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य कर रहे थे, इसलिए उन्हें संरक्षित नहीं किया गया क्योंकि उपलब्ध सुरक्षा पूर्ण नहीं है। मेरी राय में, अनवर हुसैन के मामले (2) में टिप्पणियाँ, प्रतिवादी की ओर से उठाए गए विवाद का समर्थन नहीं करती हैं। डिक्री-धारक द्वारा दायर निष्पादन आवेदन और निर्णय-देनदार द्वारा दायर आपत्ति-याचिका पर निर्णय लेने की कार्यवाही करते समय श्री नागपाल अपनी न्यायिक क्षमता में कार्य कर रहे थे और इन आवेदनों पर निर्णय करना उनके अधिकार क्षेत्र में था। भले ही उन्होंने अंततः गलत दृष्टिकोण अपनाया हो या कोई अनियमितता या अवैधता की हो, न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम के तहत सुरक्षा उन्हें उपलब्ध होती। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि श्री नागपाल इस मामले में सद्भावना विश्वास किए बिना आगे बढ़ रहे थे कि उनके पास निष्पादन आवेदन के साथ आगे बढ़ने का अधिकार क्षेत्र था। इसलिए, प्रतिवादी की ओर से उठाए गए इस तर्क में कोई दम नहीं है कि श्री नागपाल को न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम द्वारा संरक्षित नहीं किया गया था।

(6) इस तर्क के साथ कि श्री नागपाल को सुरक्षा नहीं दी गई क्योंकि वह अवैध रूप से और अधिकार क्षेत्र के बिना काम कर रहे थे और उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता था, विपरीत पक्ष की ओर से उठाया गया एक और तर्क था। यह तर्क दिया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत नोटिस न्यायिक कार्यवाही में एक कदम था, जिस पर श्री नागपाल के खिलाफ विचार किया गया था और विपरीत पक्ष को उस कार्यवाही में एक पक्ष होने का पूरा विशेषाधिकार प्राप्त था, जिसे श्री नागपाल को दिए गए नोटिस के आधार पर शुरू किया जाना था। विपक्षी की ओर से उपस्थित वकील किसी भी अथॉरिटी द्वारा इस तर्क की पुष्टि नहीं कर सके हैं। हालाँकि, मेरी राय है कि विवाद पूरी तरह से निराधार है। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत मुकदमा दायर करने या मुकदमा दायर करने की धमकी देकर और उसके संचार को नोटिस कहकर न्यायाधीश का अपमान करने और आतंकित करने की अनुमति दी जा सकती है। **तुलसीदास अमनमल करणी (3)** में ब्रूमफील्ड, जे. द्वारा भी यही विचार रखा गया था। निम्नलिखित टिप्पणियों को इसके साथ पढ़ा जा सकता है :-

"26 मार्च, 1936 को, करणी ने श्री कुर्वा को सिविल प्रकिर्या संहिता की धारा 80 के तहत एक नोटिस दिया, जिसमें उन्होंने लघु वाद न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनके द्वारा पारित की गई टिप्पणियों की घोषणा के लिए उनके खिलाफ उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करने का इरादा बताया। लघु वाद मुकदमे में उनके (करणी) फैसले में अदालत ने झूठे, अनुचित, दुर्भावनापूर्ण और अप्रासंगिक थे, उन टिप्पणियों को पारित करने में श्री कुर्वा ने ईमानदारी से,

न्यायिक या अच्छे विश्वास में काम नहीं किया, और राहत के लिए उक्त टिप्पणियों को हटाया जाना चाहिए और श्री कुर्वा को इसकी लागत का भुगतान करना चाहिए। 31 अगस्त, 1937 को करणी ने धारा 80 के तहत एक और नोटिस दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि श्री कुर्वा के पास छोटे वाद में एक पक्षीय डिक्री पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और उनके पास धारा 151 के तहत आवेदन पर विचार करने का भी कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था व उनके पास अपने फैसले में झूठी, अनुचित, दुर्भावनापूर्ण और अप्रासंगिक टिप्पणी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।"

तुलसीदास अमनमल करानी के मामले (3)[1] में अवमाननाकर्ता बॉम्बे में लघु वाद न्यायालय के समक्ष कुछ कार्यवाही में गवाह के रूप में उपस्थित हुआ था। न्यायाधीश एक गवाह के रूप में अवमाननाकर्ता के आचरण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए और उनके साक्ष्य पर अविश्वास करते हुए उन्होंने उनके आचरण की कड़ी आलोचना की। इसके बाद करणी ने श्री कुर्वा को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करने का इरादा बताया यह घोषित करने के लिए कि एक न्यायाधीश के रूप में उनके द्वारा की गई टिप्पणियाँ झूठी, अनुचित, दुर्भावनापूर्ण और अप्रासंगिक थीं।श्री करणी ने दूसरा नोटिस भेजकर आरोप लगाया कि श्री कुर्वा के पास छोटे वाद के मुकदमे में एकपक्षीय डिक्री पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और न ही उनके पास नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र था और उनके पास अपने निर्णय में झूठी, अनुचित, दुर्भावनापूर्ण और अप्रासंगिक टिप्पणियाँ करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।। इन संचारों के मद्देनजर, करणी को यह कारण बताने के लिए नोटिस जारी किए गए कि उन्हें अवमानना के लिए दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इन कार्यवाहियों में करणी की ओर से उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि उनके द्वारा भेजा गया पत्र श्री कुर्वा के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही में एक कदम था, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत नोटिस के माध्यम से भेजा गया था और एक पार्टी के रूप में उन्हें(करणी) पूरी तरह से विशेषाधिकार प्राप्त थे। इस विवाद को नकारते हुए ब्रूमफ़ील्ड, जे. ने उपरोक्त टिप्पणियाँ कीं। वर्तमान मामले में परिस्थितियाँ कुछ हद तक समान हैं और ब्रूमफील्ड, जे की टिप्पणियों में दिए गए तर्क का पूरी तरह से उत्तर दिया गया है।

(7) यह मानते हुए भी कि श्री नागपाल को न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित नहीं किया गया था और प्रतिवादी के पास उनके खिलाफ पूरी तरह से कार्य ना करने और प्रतिवादी को नुकसान पहुंचाने के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार था, नोटिस जारी करने का चरण नहीं आया था क्योंकि जिस समय नोटिस जारी किया गया था उस समय श्री नागपाल ने निष्पादन आवेदन की अनुमति नहीं दी थी और डिक्री-धारक को डिक्रीटल राशि का भुगतान करने का आदेश नहीं दिया था।प्रतिवादी द्वारा दायर आपत्तियों के संबंध में डिक्री-धारक को केवल एक नोटिस जारी किया गया था और उन आपत्तियों पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया था। प्रतिवादी की ओर से इस तथ्य पर बहुत जोर दिया गया कि नोटिस जारी होने से पहले श्री नागपाल ने डिक्री धारक को डिक्री राशि की क्षतिपूर्ति के लिए दस हजार रुपये का जमानत-पत्र दाखिल करने का आदेश दिया था। ऐसा इस न्यायालय द्वारा 6 अगस्त, 1969 को पारित आदेशों के मद्देनजर किया गया था। श्री नागपाल के डिक्री धारक द्वारा सिक्यरिटी प्रदान करने की आवश्यकता के आदेश से यह अनुमान लगाया गया था कि श्री नागपाल ने पहले ही प्रतिवादी की आपत्ति याचिका को अस्वीकार करने और डिक्री-धारक को डिक्रीटल राशि का भुगतान करने के लिए मन बना लिया था।। मेरी राय में, श्री नागपाल द्वारा पारित आदेश जिसमें डिक्री-धारक को सिक्यरिटी प्रदान करने की आवश्यकता थी, प्रतिवादी द्वारा उस आदेश पर की गई व्याख्या के लिए खुला नहीं है। वह केवल इस न्यायालय द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन कर रहा था क्योंकि प्रतिवादी द्वारा निष्पादन पर रोक लगाने की प्रार्थना को इस न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया था। इसलिए,

---

[1] (2) A.I.R 1965 S.C 1651
(3) A.I.R 1941 Bom 228

प्रतिवादी द्वारा श्री नागपाल द्वारा पारित डिक्री-धारक को डिक्री राशि का भुगतान किया जाने के लिए डिक्री-धारक को सिक्यरिटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता के आदेश से यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं था और इसलिए, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत श्री नागपाल को नोटिस जारी करने का चरण उपयुक्त नहीं था।इसलिए, इन परिस्थितियों में किसी नोटिस को प्रतिवादी के हितों की रक्षा के उद्देश्य से जारी किया गया नहीं माना जा सकता है, बल्कि यह माना जाएगा कि उसे किसी गुप्त उद्देश्य से जारी किया गया है।

(8) न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार क्षेत्र एक असाधारण क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग संक्षेप में किया जाना चाहिए। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उचित मामलों में इस शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है लेकिन यह भी उतना ही अच्छी तरह से तय है कि गंभीर विचार-विमर्श के बाद ही इसका सहारा लेना चाहिए। **देबब्रत बंदोपाध्याय और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (4)** [2]मामले में यह देखा गया कि न्यायालय आरोप लगाने वाला और साथ ही आरोप का न्यायाधीश दोनों है, और यह न्यायालय के लिए आवश्यक है कि वह निर्णय की त्रुटियों और न्यायालयों और न्यायाधिकरण में गंभीर प्रथाओं से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के लिए सभी अनुमति देते हुए यथासंभव बड़ी सावधानी से कार्य करे।यह इंगित किया गया था कि केवल तभी जब अपमानजनक आचरण का कोई स्पष्ट मामला सामने आता है जिसे अन्यथा समझाया नहीं जा सकता है, अवमाननाकर्ता को दंडित किया जाना चाहिए।

(9) उन कृत्यों की गणना करना मुश्किल है जो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन अवमानना के सभी मामलों में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या कथित अवमाननाकर्ता की कार्रवाई या टिप्पणी न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने, बाधित करने या विफल करने के लिए बनाई गई है या नहीं।सामान्यतः अवमानना दो प्रकार की होती है: एक प्रत्यक्ष और दूसरी अप्रत्यक्ष। यदि कोई व्यक्ति किसी लंबित मुकदमे में किसी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए कोई कार्रवाई करता है, उदाहरण के लिए, मुकदमे के न्यायाधीश को मामले के रिकॉर्ड से परे कुछ बताना या किसी अखबार में एक लेख प्रकाशित करना जो यह बताने के लिए हो कि लेखक मामले के सही तथ्यों को क्या मानता है , उसकी कार्रवाई सीधे तौर पर न्याय में हस्तक्षेप करती है। दूसरी ओर, यदि वह न्यायाधीश की गरिमा के प्रति अपमानजनक कोई टिप्पणी करता है और यदि वह टिप्पणी या तो न्यायाधीश को शर्मनाक स्थिति में डालने के लिए की जाती है ताकि न्याय का स्वतंत्र प्रशासन खतरे में पड़ जाए, या वादी जनता का न्यायाधीश पर विश्वास खो जाए,ऐसी स्थिति में टिप्पणी के निर्माता परोक्ष रूप से न्याय को बाधित करता है। इस अवमानना को किसी न्यायालय या न्यायाधीश को कलंकित करना कहा गया है। **प्रताप सिंह और अन्य बनाम गुरबख्श सिंह (5)** [3]में यह देखा गया कि न्यायालय में बाधा डालने के कई तरीके थे और कोई भी आचरण जिसके द्वारा न्याय की प्रक्रिया विकृत होती है, चाहे किसी पक्ष द्वारा या किसी अजनबी द्वारा, अवमानना है। वह जो किसी विशेष मुकदमे के संबंध में न्यायालय या न्यायाधीश के ख़िलाफ़ लांछन लगाता हो, न केवल वादकारियों के अधिकारों के विरुद्ध बल्कि सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध भी अपराध करता है। **आर. बनाम ग्रे (6)** में, किलोवेन के लॉर्ड रसेल द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि किया गया कोई भी कार्य या प्रकाशित लेखन जो किसी न्यायालय या न्यायाधीश को अवमानना में लाने या उसके अधिकार को कम करने के लिए किया जाता है, वह न्यायालय की अवमानना है। यह अवमानना का एक वर्ग है जिसे आम तौर पर 'न्यायालय को बदनाम करना' कहा जाता है और जिस सिद्धांत पर अदालत अवमानना के उस वर्ग का नोटिस लेने के लिए आगे बढ़ती है वह जनता के हित पर आधारित है न कि किसी विशेष न्यायालय के हित पर या उन

---

(4) A.I.R 1969 S.C 189

[3] (5) A.I.R 1962 S.C 1172
(6) 1900 2 QB 36

न्यायधीश के हित पर जिन पर हमला किया गया है।यह सार्वजनिक हित में है कि न्याय की अदालत में विश्वास कायम रहना चाहिए और यदि किसी न्यायाधीश पर हमला किया जाता है जो हमले का जवाब देने की स्थिति में नहीं है, तो न्यायाधीश का अधिकार और प्रतिष्ठा जनता की नज़र में कम हो जाती है और वह जनता के हित के विपरीत है।

(10) ऊपर उल्लिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, मैं अब मामले की खूबियों पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं। नोटिस का निम्नलिखित भाग, जिसका संदर्भ श्री नागपाल के पत्र में किया गया है, जिसे इस न्यायालय को भेजा गया था और जिसकी एक प्रति इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के साथ विरोधी पक्ष को भेजी गई थी, हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है:-

"आवेदक जे.डी. ने बताया कि निष्पादन के तहत डिक्री कानून के तहत अमान्य है और न्यायालय के पास 30 अगस्त, 1969 को या उसके आसपास डी.एच. द्वारा किए गए समय-बाधित निष्पादन आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसके मद्देनजर भी आपत्ति आवेदन में निहित आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र। डिक्री अप्राप्य हो गई है और रिकॉर्ड के पहलू पर भी समायोजित हो गई है, जिस पर आपका मालिक अपने वकील के कारण जे.डी. नंबर 1 के खिलाफ प्रचलित पूर्वाग्रह से उत्पन्न आपके क्रोध और क्रोध को छिपा नहीं सका, जैसा कि फैसले से पता चला है दिनांक 9 मई 1969 को उक्त सुइट में श्री सालिग राम सेठ, एडीजे और आपके गृह जिले मुजफ्फर गढ़ के नागपाल ब्रदर्स भी कोर्ट रूम में उपस्थित थे, जो नागपाल परिवार के दामाद श्री चेतन दास और उनके पोते द्वारा लाए गए थे। नागपाल परिवार का बेटा और वह खुलेआम आपकी सहानुभूति का दावा करता है। आपने तुरंत श्री चेतन दास डी.एच. से नाम के लायक कोई भी सुरक्षा लाने के लिए कहा और आप उन्हें वाउचर जारी करेंगे। इसलिए, मैं आपको यह कानूनी नोटिस देने के लिए बाध्य हूं कि यदि आप अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करते हैं और एक गैर-निष्पादन योग्य डिक्री निष्पादित करते हैं जो रिकॉर्ड के सामने अमान्य है और निष्पादन आवेदन समयबद्ध है, तो आप ऐसा कार्य करेंगे जो आपके निर्वहन में नहीं होगा। व्यक्तिगत कारणों से सार्वजनिक कर्तव्य और आप ब्याज सहित राशि के पुनर्भुगतान के साथ-साथ उत्पीड़न और मानसिक चिंता के लिए क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होंगे। आपके पूर्ववर्ती और यहां तक कि श्री सालिग राम सेठ द्वारा विद्वान एडीजे द्वारा उपरोक्त मामले में रिकॉर्ड भी नष्ट कर दिया गया है और मामला शीघ्र सुनवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष है।"

इसमें श्री नागपाल को धमकी दी गई है कि यदि उन्होंने डिक्री को निष्पादित किया तो वह निर्णय-देनदार को राशि और क्षति के पुनर्भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे, लेकिन श्री नागपाल की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता तथा एक न्यायाधीश के रूप में जिला न्यायाधीश श्री सालिग राम सेठ, अपर जिला न्यायाधीश की सत्यनिष्ठा और क्षमता पर भी आक्षेप लगाते हैं। इसलिए, अवमानना न केवल वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को बदनाम करके की गई है बल्कि ऐसा माहौल बनाकर भी की गई है जिसमें श्री नागपाल के लिए न्यायिक अधिकारी के रूप में अपना कर्तव्य निभाना मुश्किल होगा। जब पत्र श्री नागपाल को प्राप्त हुआ तो उन्हें विरोधी पक्ष के खिलाफ एक डिक्री के निष्पादन से संबंधित मामले से जब्त कर लिया गया था और श्री नागपाल को पत्र भेजने का एकमात्र उद्देश्य उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा करना था ताकि वह ठीक से न्याय करने में असमर्थ रहें। मेरी राय में, यह स्पष्ट रूप से न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास है और अवमानना के रूप में दंडनीय है। इसके अलावा, एक संकेत यह भी था कि श्री नागपाल अपने रिश्तेदार के प्रभाव में काम कर रहे थे, जिन्हें चेतन दास (डिक्री-धारक) द्वारा अदालत कक्ष में लाया गया था। यह आक्षेप श्री नागपाल की निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा पर भी प्रतिबिंबित होता है और श्री नागपाल द्वारा मामले के निर्णय में हस्तक्षेप करने और उसे प्रभावित करने की योजना बनाई गई थी। इस अपमान का प्रभाव श्री नागपाल के अधिकार को कम करने और जनता को श्री नागपाल की निष्पक्षता और न्याय की भावना पर विश्वास खोने का है। इसलिए, यह श्री नागपाल को बदनाम करने का एक स्पष्ट मामला था।

(11) अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ,श्री सालिग राम सेठ के खिलाफ की गई टिप्पणियाँ भी निंदनीय प्रकृति की हैं। यह कहकर कि उन्होंने मामले में गड़बड़ी की है, यह सुझाव दिया गया कि श्री सालिग राम न्यायाधीश के रूप में सक्षम नहीं थे। इस टिप्पणी में जिला न्यायाधीश के रूप में श्री सालिग राम सेठ पर से जनता का विश्वास खोने की प्रवृत्ति भी थी।

(12) उपरोक्त कारणों से मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एक नोटिस जारी करके, जिसे जारी करना प्रतिवादी दीवान जमन लाल ने स्वीकार कर लिया है, उन्होंने खुद को अदालत की अवमानना का दोषी बना लिया है और इसके लिए सजा के लिए उत्तरदायी हैं।

(13) अब एकमात्र प्रश्न जो विचारणीय है वह यह है कि ऐसे मामले में क्या सज़ा उचित है। यह जोड़ा जा सकता है कि किसी भी स्तर पर माफी नहीं मांगी गई। दूसरी ओर, जवाब के साथ ही प्रतिवादी की ओर से बहस के दौरान यह कहा गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत नोटिस जारी करना उसके अधिकार क्षेत्र में है। प्रतिवादी के रवैये और उसके द्वारा की गई अदालत की अवमानना की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मैं उसे दो महीने के साधारण कारावास की सजा देता हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

बेनिका

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हरियाणा